

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्थे राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (1149)/2018/ 171

दिनांक : 7-3-18

आदेश

निम्नलिखित लैब टेक्नीशियन को उनके नामों के सम्मुख अंकित जन्म दिनांक के आधार पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर अंकित दिनांक से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	से.नि.दिनांक
1.	श्री चन्द्रपाल, वरि.लै.टे.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उच्चैन(भरतपुर)	04.06.1958	30.06.2018
2.	श्री वीरेन्द्र सिंह, लै.टे.	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, धौलपुर	01.01.1959	30.12.2018
3.	श्री विरेन्द्र कुमार पुरोहित, लै.टे.	अधीक्षक, मथुरादास माथुर चिकित्सालय जोधपुर	01.12.1958	30.11.2018

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

( राकेश शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थे  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (1149)/2018/ 171

दिनांक : 7-3-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
2. अधीक्षक, मथुरादास माथुर चिकित्सालय जोधपुर
3. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन-भरतपुर/जोधपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर/भरतपुर।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी धौलपुर।
6. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उच्चैन(भरतपुर)।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
8. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. आदेश/डीपीसी सैल/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारीयो के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थे  
राजस्थान, जयपुर।